

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227626
SG-DL-E-15062021-227626

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]	दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2021/ज्येष्ठ 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 54
No. 166]	DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2021/JYAISTHA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 54

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-(1)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2021

फा. सं. 16/21/2020/गृह पुलिस-1/स्था./545 से 551.— दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप धाराओं (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	(1)	इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जायेगा ।
		(2)	ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2.	17-ख (xiii) का संशोधन	दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980, 17-ख (xiii) में, दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के मास्ट लस्कर (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित ।
----	-----------------------	--

(क) “ वेतन मान ” से संबंधित क्रम संख्या 4 पर कॉलम के समक्ष प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ स्तर -4 (25,500 – 81,100 /- रुपये)

टीप – अधिसूचना सं० फा० 10/52/80-गृह (पुलिस)/स्था० (i) दिनांक 31.12.1980 के अनुसार दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 का मूल नियम तथा (i) अधिसूचना सं० फा० 5/46/84-गृह (पुलिस)/स्था० दिनांक 31.07.1986 (ii) अधिसूचना सं० फा० 16/02/2010/गृह पुलिस -1/स्था०/4366-4371 दिनांक 05.11.2012 के अनुसार आगे संशोधित ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

HOME POLICE-(I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2021

F.16/21/2020/HP-/Estt./545 to 551—In exercise of the powers conferred by Sub- Sections-(1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement
 - (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of 17-B (xiii)

In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in Rule 17-B (xiii), relating to the post of Mast Lasker (Head Constable) of Communication Unit in Delhi Police.
- (a) For the entry against the column at serial No. 4 relating to the “Scale of Pay” the following entry shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)

Note: The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Notification No.F.10/52/80-Home(Police)/Estt.(i) dated 31.12.1980 and further amended vide (i) Notification No. F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 (ii) Notification No. F.16/02/2010/HP-1/Estt./4366-4371 dated 5.11.2012.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (HOME-1)